

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामदेव पुत्र सोमई निरो बरेली थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—229 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हीरालाल पुत्र त्रिभुवन, 02. कमल पुत्र हीरालाल, 03. संदीप पुत्र जवाहर निवासीगण भुलभुलिया हाता थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—281 / 21, धारा धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू पुत्र रामसहाई ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—206 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.07.2021

मनरेगा घोटाले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने मु0अ0सं0—210/20, धारा 409 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तकनीकी सहायक राम उबारन तिवारी को मुखबिर खास की सूचना पर गोडवाधाट तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने मनरेगा के धन का घोटाला किया था। जिसके सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी बेलसर सदानन्द चौधरी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः—

01. रामउबारन तिवारी पुत्र स्व0 भगवती प्रसाद तिवारी नि0 टडकी पट्टी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0—210/20, धारा 409 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

व0उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 21.07.2021

थाना वजीरगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को दिए थे

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अशरफ अली बादशाह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आम्स एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अशरफ अली बादशाह पुत्र पप्पू निं० ग्राम रौजा मौजा अशोकपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०स०—२४०/२१, धारा ४/२५ आम्स एकट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० दिलीप कुमार सिंह मय टीम।

